संख्या-15 /2019 /1321/96-आयुष-1-2019-100/2019

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 **लखनऊ; दिनांक 09 मार्च, 2019**

विषय- राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में 04 अदद टायलेट, 04 अदद यूरिनल, पार्किंग शेड, उनके एप्रोच रोड एवं फाल्स सीलिंग के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-7870/यू0नि0/यो0/2018-19; दिनांक 05.03.2019 एवं संख्या-7977/यू0नि0/यो0/2018-19; दिनांक 09.03.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में 04 अदद टायलेट, 04 अदद यूरिनल, पार्किंग शेड, उनके एप्रोच रोड एवं फाल्स सीलिंग के निर्माण संबंधी शासन के पत्र संख्या-14/2019/1307/96-आयुष-1-2019-100/2019 दिनांक 09.03.2019 के क्रम संख्या-4 में "इसके सापेक्ष इसमें से 10 प्रतिशत की धनराशि रू0 7.240 लाख की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि" के स्थान पर"इसके सापेक्ष इसमें से 10 प्रतिशत की धनराशि रू0 7.204 लाख की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि" तथा क्रम संख्या-5 में "रू0 67.83 लाख (रूपया सरसठ लाख तिरासी हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने " के स्थान पर "रू0 64.836 लाख (रूपया चौसठ लाख तिरासी हजार छः सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने " पढा जाय।

3- उक्त आदेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-15 /2019/1321(1)/96-आयुष-1-19, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।
(4) वित्त नियंत्रक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज।
(6) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(7) आयुष अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) समस्त संबंधित अधिकारी (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(लक्ष्मण सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in